हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
3 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र वास्ते पत्रावली पेशी पर लेने बाबत पेश कर निवेदन किया कि पत्रावली आज पेशी तारीख पर ली जावे। वकील प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर पत्रावली आज पेशी तारीख पर ली गई। तहसीलदार सेड़वा से मौका रिपोर्ट प्राप्त हुई। जिसे शामिल पत्रावली किया जाता है। वकील प्रार्थी ने मौका रिपोर्ट अनुसार निर्णय करने का निवेदन किया है अतः रास्ते संबन्धी निर्णय अलग से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो संख्या से कम हो।	
25/08/23 पत्रावली पेश हुई वकील प्रार्थी उप०। तहसीलदार (भू.अ.) सेड़वा से रा. मा. स. 153/22 अनवान मोहम्मद वगैरा बनाम सरकार में निर्णय दिनांक 27/07/23 के समाविष्ट भूमि की क्षतिपूर्ति की स्वीकृत बाबत पालना रिपोर्ट प्राप्त हुई। जिसे शामिल पत्रावली किया जाता है। भू.अ. निरीक्षक सेड़वा द्वारा निर्धारित क्षतिपूर्ति ग्राम समावली के ख.न. 151 रकबा 0.2940 हैक्टेयर की ग्राम समावली की निर्धारित DLC दर का दो गुणा से तथा अन्य संरचना के वास्तविक मूल्य से गणना करते हुए क्षतिपूर्ति राशि को पक्षकारो में विभाजन किया जावे। मौका रिपोर्ट अनुसार क्षतिपूर्ति राशि संबंधित पक्षकारो को भुगतान किया जावे।	
पत्रावली पुनः फैसल शुमार होकर दाखिल	

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सेड़वा जिला बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी –श्री अल्हाद निवृति सोमनाथ, आई.ए.एस

राजस्व आवेदन :– 53/2022 अन्तर्गत धारा 251 'ए' Rt Act

अनवान :–

प्रार्थीगण : 1. मोहम्मद पुत्र अब्दुला 2. इकराम पुत्र अली जाति मुसलमान, निवासी हासम की ढाणीयां(समावली)

बनाम

विप्रार्थीगण :– 1. राजस्थान राज्य तहसीलदार सेड़वा

वकील प्रार्थी :– श्री भवानी शंकर

विप्रार्थीगण

निर्णय

दिनांक 27/7/23

प्रार्थी मोहम्मद पुत्र अब्दुला जाति मुसलमान निवासी हासम की ढाणीया तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर द्वारा प्रस्तुत आवेदन अन्तर्गत 251 (ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी एक काश्तकार है। प्रार्थीगण के खातेदारी एवं कब्जाशुदा खेत मौजा समावली पटवार हल्का चिचड़ासर भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र सेड़वा तहसील धनाऊ के खसरा सं. 340/162 रकबा 26.08 बीघा व खसरा 359/340 रकबा 26.00 एवं खसरा संख्या 341/162 रकबा 60.00 बीघा भूमि का आया हुआ है जिस पर प्रार्थी का कब्जा काश्त है। तथा अपने रहवासी हेतु ढाणियों, टांके व मवेशियों के बाड़े आदि बने हुए है। प्रार्थीगण की जोत पर आने जाने के लिए विप्रार्थीगण के खेत खसरा संख्या 151 रकबा 25.19 बीघा किस्म गै0मू0 धोरा में चलकर सरकारी रास्ते तक आने जाने के लिए एक मात्र रास्ता है। प्रार्थीगण की जोत पर आने जाने हेतू कोई रास्ता नहीं है एवं काश्त के समय प्रार्थीगण की जोत खसरा संख्या 340/162 रकबा 26.08 बीघा व खसरा संख्या 359/340 रकबा 26.00 एवं खसरा संख्या 60.00 बीघा काश्त के समय एवं अन्य कारण से प्रार्थी को अपनी जोत भूमि में जाने से प्रार्थीगण को अपनी जोत में जाने से बाधित हो जाते है। जिस हेतु प्रार्थीगण द्वारा आवेदन प्रस्तुत कर इस्तदुआ चाही गई।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गए। विप्रार्थीगण के सम्मन तामिलशुदा प्राप्त होने के बावजुद भी उनकी ओर से कोई

Ahad

उपस्थित नही हुआ अतः उनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी जाती हैं। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा चाहे गये रास्ते के संबंध में मौका रिपोर्ट मंगवाने का निवेदन किया जिस पर तहसीलदार सेड़वा को उक्त चाहे गये रास्ते के संबंध में मौका रिपोर्ट तैयार कर भिजवाने हेतु लिखा गया।

प्रार्थीगण अधिवक्ता उपस्थित हुए। तहसीलदार सेड़वा से उक्त चाहे गये रास्ते के संबंध में मौका रिपोर्ट मय फर्द व नक्शा प्राप्त प्राप्त हुई, जो शामिल पत्रावली की गई। मौका रिपोर्ट अनुसार भूमि का मौका मुआयना किया गया एवं मौका रिपोर्ट निम्नांनुसार तैयार की गई जिसका विवरण निम्नानुसार है–

क्र. सं.	खातेदार का नाम व पता	खसरा संख्या	रकबा बीघा में	रास्ते की ल0 व चौड़ाई फीट में	प्रस्तावित रास्ते में समाविष्ट भूमि का रकबा	मौजा	रास्ते में समाविष्ट भूमि की कीमत	भूमि की किस्म
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	राजस्थान सरकार	151	4.2006 है.	245X3 गठा	0.2940 है	समावली	39945 रूपये	गै.मू. धोरा

पत्रावली का अध्ययन अवलोकन किया गया। सलंग्न दस्तावेजों एवं मौका रिपोर्ट का अध्ययन अवलोकन किया गया। जिससे यह स्पष्ट होता है कि प्रार्थीगण को रास्ते की अत्यधिक आवश्यकता है और यह केवल सुविधा जनक उपभोग के लिए नहीं है। इसका कोई अन्य विकल्प नहीं है।

अतः प्रार्थीगण की मांग उचित प्रतित होती है और प्रार्थीगण को जो रास्ता दिया जाना है न्याय संगत है। प्रार्थीगण को जो रास्ता दिया जाना है। उसका विवरण निम्नानुसार है :–

क्र. सं.	खातेदार का नाम व पता	खसरा संख्या	रकबा बीघा में	रास्ते की ल0 व चौड़ाई फीट में	प्रस्तावित रास्ते में समाविष्ट भूमि का रकबा	मौजा	रास्ते में समाविष्ट भूमि की कीमत	भूमि की किस्म
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	राजस्थान सरकार	151	4.2006 है.	245X3 गठा	0.2940 है	समावली	39945 रूपये	गै.मू. धोरा

राजस्थान काश्तकारी (सरकारी/संशोधन) नियम 2012 द्वारा अन्तः स्थापित अध्याय 12 के नियम 70(11) (a) में स्पष्ट है कि अगर समझौते से क्षतिपूर्ति राशि का समाधान नहीं होता

है तो जिला स्तरीय कमेटी/डीएलसी द्वारा निर्धारित दरों की दो गुणा राशि की दर से प्रभावित पक्षकार को क्षतिपूर्ति के रूप में राशि दी जाकर प्रार्थीगण को रास्ता दिया जा सकता है। और अन्य कोई पेड़ फसल या संरचना प्रस्तावित रास्ते में हो तो उनकी क्षति की पूर्ति हेतु वास्तविक नुकसान के आधार पर राशि देय होगी।

प्रार्थीगण के आवेदन की गंभीरता व आत्यांतिक आवश्यकता को मध्यनजर रखते हुए उनका आवेदन अंतर्गत धारा 251 (ए) की उपधारा (1) – (b) राजस्थान काश्तकारी संशोधित अधिनियम 2010 को स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार से प्राप्त मौका रिपोर्ट मय फर्द एवं सलंग्न आंशिक नक्शा ट्रेस लाल रंग से दर्शाया गया 20.00 फीट चौड़ा रास्ता प्रार्थीगण के पक्ष में दिए जाने का आदेश दिया जाता है। कि प्रार्थीगण क्षतिपूर्ति की राशि डीएलसी दर की दो गुनी राशि राजकोष में अदा करेगें। मौका रिपोर्ट मय फर्द व नक्शा निर्णय का अनिवार्य भाग रहेंगे। तथा प्रार्थीगण को उपरोक्त खसरान में से प्रस्तावित नया रास्ता दिये जाने के लिए निम्नलिखित शर्तों की पालना अनिवार्य होगी :–

1. तहसीलदार सेड़वा द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट में संलग्न आंशिक नक्शा ट्रेस में दर्शाया गया है प्रस्तावित नए रास्तें में समाविष्ट होने वाली कुल भूमि के रकबे की गणना कर निर्णय दिनांक को प्रचलित (लागू) डीएलसी द्वारा निर्धारित दरों की दो गुना राशि की गणना करके तहसीलदार द्वारा सात दिवस में न्यायालय में प्रस्तुत की जायेगी।
2. तहसीलदार द्वारा गणना उपरान्त बताई गई राशि का भुगतान प्रार्थीगण द्वारा प्रभावित पक्षकार (विप्रार्थी) को नए रास्तें में समाविष्ट होने वाली उनकी भूमि के रकबे की क्षतिपूर्ति राशि के रूप में किया जो डीएससी द्वारा निर्धारित दरों की दो गुना के बराबर होगी।
3. प्रार्थीगण द्वारा नए प्रस्तावित रास्तें में समाविष्ट होने वाली भूमि के कुल रकबे हेतु निर्धारित क्षतिपूर्ति राशि तहसीलदार सेड़वा को प्रदान करने के उपरान्त ही स्वयं के द्वारा भौतिक रूप से नये रास्ते का सीमांकन तथा राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जायेगा।
4. नए प्रस्तावित 20 फीट रास्ते में समाविष्ट होने वाली भूमि के संबंध में अभिधृति निर्वापित की हुई समझी जाएगी और वह भूमि राजस्व अभिलेखों में "रास्ता" के रूप में अभिलिखित की जायेगी।
5. प्रार्थीगण को उक्त 20 फीट चौड़े रास्ते के केवल रास्ते हेतु प्रयुक्त अधिकारों के अतिरिक्त कोई भी अन्य अधिकार अर्जित नहीं होगें।

Ghod

6. रास्ते के रूप में समाविष्ट भूमि का रकबा संबंधित खसरों में से कम करते हुए राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जाएगा।

उक्त शर्तों की पालना के अध्याधीन ही प्रार्थीगण को नया रास्ता दिए जाने हेतु आज दिनांक 27/7/23 को आदेश किया जाता है। मौका फर्द मय नक्शा निर्णय का अनिवार्य अंग रहेंगे। निर्णय पालना हेतु तहसीलदार सेड़वा को लिखा जावें। पत्रावली फैसला शुमार होकर दफ्तर दाखिल हो। संख्या से कम हो।

(अव्हाद निवृति सोमनाथ)
(आई.ए.एस)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी सेड़वा